बीआईएस मुख्यालय/प्रशा/परिपत्र(22)/2019
दिनांक : 30 अगस्त 2019

भारतीय मानक ब्यूरो

(प्रशासन विभाग)

परिपत्र

विषय: भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों के लिए चाय भत्ता राशि में वृद्धि

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि सक्षम प्राधिकारी ने भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए चाय भत्ते के लिए रूपये 150/- से रूपये 300/- प्रति माह बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । अत: 01 सितम्बर 2019 से लागू रूपये 300/- प्रति माह चाय भत्ते के लिए भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों को दिये जायेंगें और यह भत्ता भा.मा.ब्यूरो के सभी कार्यालयों अर्थात मुख्यालय/क्षे.का./शाका./ प्रयोगशालाएं/निटस में समान रूप से लागू होगा ।

क. सभी क्षेत्रीय कार्लयाओं/ शाखा कार्यालयों / प्रयोगशालाओं / एन.आई.टी.एस. की केंटीन समिति द्वारा अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण में चाय / नाश्ते / खाद्य वस्तुओं की लागत तय की जाएगी ।

ख) मुख्यालय में, रुपये 300/- का भत्ता राशि बीआईएस कर्मचारियों के व्यक्तिगत आरएफआईडी कार्ड में जमा किया जाएगा और उपयोग के अनुसार राशि कार्ड मे काटी जाएगी । हालांकि, रुपये 300/- से अधिक की राशि व्यक्तिगत द्वारा स्वयं वहन की जाएगी ।

ग) जहां कहीं कैंटीन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां स्थानीय शाखा प्रमुख प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाय/स्नैक्स उपलब्ध कराने हेतु प्रति माह रूपये 300/- खर्च करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा यदि कोई अतिरिक्त कीमत हो तो प्रत्येक कर्मचारी स्वयं वहन करेगा ।

हस्ता/-
(एन. विट्टोबा)
निदेशक (प्रशासन)

हमारा संदर्भ: प्रशा/10/11/2014

परिचालित: **इंट्रानेट के माध्यम से बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग, क्षे.का./शा.का./ प्रयोगशालाएँ एवं एनआईटीएस**

BIS HQ/ADMN/Circular(22)/2019
Date: 30 August 2019

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Administration Department)

CIRCULAR

Subject: Increase of Tea allowance Amount for BIS Employees

The undersigned is pleased to inform that the Competent Authority has approved the proposal to increase the amount of tea allowance from Rs. 150/- to Rs. 300/- per month for BIS employees. Hence, w.e.f. 1st September 2019, the tea allowance worth of Rs. 300/- per month will be given to all BIS employees; and the allowance shall be uniform to all BIS offices i.e. HQ/ ROs/ BOs/ Labs/NITS.

a) The cost of tea / snacks / edible items shall be fixed by the ROs/BOs/Labs/NITS Canteen Committee in their respective Administrative Control.

b) In HQ, the allowance amount of Rs. 300/- will be credited into individual RFID card of BIS employees and the amount will be debited according to the usage. However, excess amount beyond Rs. 300/- will be borne by the individual employee.

c) Where there is no canteen facility available, the branch Head is authorized to spend Rs.300/- per employee per month towards providing tea/snacks to the individual employee and the extra cost if any will be borne by the individual employee.

(N. Vittoba)
Director (Administration)

Our Ref: ADMN/10/11/2014

Circulated to: All Departments at HQs/ROs/BOs/Labs/NITS through Intranet